कार्यालय जिलाधिकारी अलीगढ़।

संख्या– 27 /एम–ख0यो0/2018 दिनांक 30 अक्टूबर, 2018

खनन योजना अनुमोदन का आदेश

मै0 शान्ती ईट उद्योग, भदरोई तहसील कोल जिला अलीगढ़ ग्राम भदरोई के गाटा संख्या 426, 378अ, 378ब रकबा 3.686 है0 में उप खनिज ईट मिट्टी के खनन हेतु प्रस्तुत खनन योजना का अनुमोदन उ0प्र0 उप खनिज (परिहार) नियमावली 1963 के प्राविधानों के अन्तर्गत 04 वर्ष के लिये भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, उत्तर प्रदेश शासन की अधिसूचना संख्या 3327/86–2017–151(सर0)–2017 दिनांक 03.01.2018 के अन्तर्गत जिलाधिकारी जिले के भीतर साधारण मिट्टी और ईट मिट्टी खनन योजना अनुमोदित किये जाने हेतु अधिकृत हैं । जिलाधिकारी के आदेश दिनांक 27.10.2018 के द्वारा निम्नलिखित शर्तो के अधीन खनन योजना का अनुमोदन कर दिया गया है ।

1– खनन योजना का अनुमोदन 5805.5 घनमीटर प्रतिवर्ष में ईट मिट्टी के उत्पादन हेतु अनुमन्य किया गया है ।
2– ईट मिट्टी खनन की गहराई, सतह से 02 मीटर से अधिक नहीं होगी ।
3– खनन कार्य ग्राउण्ड वाटर लेवल से कम से कम 02 मी0 ऊपर तक ही सीमित रखा जायेगा ।
4– प्रस्तावित खनन की गहराई के अधी दूरी के बराबर कर्ष सन्निकट खेतों की सीमा से छोड़ी जायेगी ।
5– खनन कार्य बैंच बनाकर किया जायेगा, जिसकी अधिकतम ऊंचाई 01 मीटर एवं चौड़ाई कम से कम 03 मीटर होनी चाहिए ।
6– खनन कार्य के दौरान निकाले गये टॉ स्वॉयल को व्यवस्थित रूप से एकत्रित कर रखा जायेगा, जिसे खनन कार्य समाप्त होने के उपरान्त उसी क्षेत्र में फैला दिया जायेगा ।
7– खनन योजना में वार्णित भूमि के स्वामित्व तथा भू स्वामियों की सहमति से सम्बन्धित अभिलेखों की पुष्टि तहसील स्तर से भी किया जाना अपेक्षित होगा ।
8– खनन अदेयता के सम्बन्ध में खान अधिकारी/खान निरीक्षक यह सुनिश्चित करें कि उक्त प्रस्तावक के ऊपर कोई भी खनन देय बकाया नहीं है, यदि बिना खनन अदेयता प्रमाण पत्र के पर्यावरण स्वच्छता प्रमाण पत्र निर्गत किया जाता है तो उसके लिये खान अधिकारी/खान निरीक्षक जिम्मेदार होंगे ।

(राज कुमार संगम)
खान अधिकारी,
अलीगढ़

संख्या /एम–ख0यो0/2018 दिनांक उपरोक्त

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1– प्रभारी अधिकारी (खनन), अलीगढ़ ।
2– मै0 शान्ती ईट उद्योग, भदरोई तहसील कोल (अलीगढ़) ।

30.10.018
खान अधिकारी,
अलीगढ़

Scanned by CamScanner